<u>भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....., सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....., जो ग्राम/नगर ....., जिला/मंडल....., राज्य/संघ शासित प्रदेश ..... का/की निवासी है, ... समुदाय से संबद्ध हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ....., दिनांक .....* के अंतर्गत एक पिछड़ी श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/या उसका परिवार सामान्य तौर पर ..... जिला/संघ शासित प्रदेश के ..... जिले/मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा. सं 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के का.ज्ञा. सं 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा. सं 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण)**, की अनुसूची के कॉलम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____$

दिनांक:

मुहर

---

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में दिया गया है।

**- समय-समय पर यथासंशोधित

$ - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

टिप्पणी:- यहां 'साधारणतया' का अर्थ वही होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।